संख्या 13/6/2002-का-1-2003

प्रेषक;

डी० एस० बग्गा;
मुख्य सचिव;
उ० प्र० शासन ।

सेवा में;

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव; उ० प्र० शासन ।
2—समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी; उ० प्र० ।
3—समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष; उ० प्र० ।

लखनऊ; दिनांक : 7 जनवरी, 2003

विषय :—पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों को उनके गृह जनपद जाने के लिए आकस्मिक अवकाश के साथ यात्रा अवधि अवकाश की सुविधा समाप्त किया जाना ।

महोदय;

कार्मिक अनुभाग-1

शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 2490/II-749, दिनांक 23 अप्रैल, 1937 द्वारा उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में कार्यरत पर्वतीय क्षेत्र के निवासी कर्मचारियों को वर्ष में एक बार अपने घर जाने के लिए आकस्मिक अवकाश के साथ यात्रा अवधि के विशेष अवकाश की सुविधा दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। अब उपर्युक्त अवकाश सुविधा को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किए जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय;
डी० एस० बग्गा,
मुख्य सचिव ।

संख्या 13/6/2002 (1)/का-1-2003, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
2—समस्त निजी सचिव, मा० मंत्रिगण, उत्तर प्रदेश ।
3—सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
4—सचिव, विधान सभा/परिषद्, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,
राजेन्द्र भौनवाल,
प्रमुख सचिव ।

संख्या 13/6/2002 (2)/का-1-2003, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश को इन आदेशों के विभिन्न सूचना माध्यमों से समुचित प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,
राजेन्द्र भौनवाल,
प्रमुख सचिव ।

डी० एस० यू० पी०—ए० पी० 21 सा० नियुक्ति—6-2-2003—(2278)—2003—2000 (मेक०) ।